

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

कदमा नंबर प्रार्थना पत्र / 172 / 2019

तारीख रजु 04.04.2019

उनवान

महेन्द्र कुमार पुत्र किस्तूरचंद वगैरह जाति महाजन निवासी कस्बा हिण्डौनसिटी हाल विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीज एरिया, जयपुर

सायलान(04)

बनाम

द्रोपती बेवा पूरणचन्द वगैरह निवासी ई-187 मोहननगर हिण्डौनसिटी तहसील हिण्डौन जिला करौली

गैरसायलान(14)

उपस्थिति:-

सायला की ओर से :- श्री पी.एल.गोयल एडवाकेट।

गैरसायलान की ओर से :- कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांक 03.02.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि सायला की ओर वकालतन एक प्रार्थना पत्र निवासी कस्बा तहसील हिण्डौन जिला करौली के खसरा नंबर 1808 के प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिए नोटिस तलब किया। इसी दौरान सायलान वकील द्वारा दिनांक 03.02.2019 को निवेदन किया कि उनका सायलान प्रार्थना पत्र नहीं चलाना चाहते हैं। प्रार्थना पत्र नोट प्रेस में खारिज चाहा

अतः सायलान का अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मुकदमा नंबर 172/2019 महेन्द्र कुमार बनाम द्रोपती वगैरह नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

